राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(02)ग्रावि/नरेगा/माद/2015/82614/पार्ट–III जयपुर, दिनांक : 14 JAN 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
कोटा।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत खेल मैदान विकास, नर्सरी स्थापना, श्मशान/कब्रिस्तान विकास कार्यों में चारदीवारी एवं टयूबवैल कार्य स्वीकृत करने के संबन्ध में मार्गदर्शन चाहने बाबत।**

संदर्भः– **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा का पत्रांक महानरेगा/2015–16/3370–73 दिनांक 10.11.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे :–

1. Bore wells & Tube wells का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा **योजनान्तर्गत अनुमत नही** है। अतः **योजनान्तर्गत इनका निर्माण किसी भी हालत में नही किया** जावे।
2. श्मशान/कब्रिस्तान, खेल मैदान विकास में **प्रोजेक्ट मोड में कार्य स्वीकृत किये** जाने की स्थिति में **चारदीवारी निर्माण कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराया जा** सकता है, परन्तु **श्मशान/कब्रिस्तान में चारदीवारी का निर्माण कार्य जहाँ तक संभव हो डिच कम बण्ड के द्वारा ही** कराया जावे। **नर्सरी स्थापना में चारदीवारी निर्माण कार्य अनुमत नही** है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

14/1/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा समस्त (कोटा को छोडकर)।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस